सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 19, शुक्रवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 11, 2019 *Asvina 19, Friday, Saka 1941–October 11, 2019*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपुर, अक्टूबर 01, 2019

सख्या एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/3685 :-सां. आ. 118/19 - स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 31731 दिनांक 05.08.2019 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में कतिपय संशोधन जारी करते हुए राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 के नियम 5 के द्वारा नियम 72 को संशोधित किया गया हैं। संशोधित नियम 72 के उपबन्धों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए गए साधारण या विशिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए सदस्य पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों के नाम राजपत्र में प्रकाशित कराए जाने हेतु नियम-68 के अधीन सूचना आयोग को प्रेषित करेगा।

राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( ) Rules/DLB/19/23179 दिनांक 31.01.2019 के माध्यम से नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से किए जाने हेतु राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2019 जारी किए गए है। इन संशोधन के नियम 78(6) के अनुसार नियम 68 एवं नियम 72 के प्रावधान अध्यक्षीय पदों के निर्वाचनों में भी लागू होगें।

अत: नियम 72 सपठित नियम 78(6) के उपबंधों के प्रावधानान्तर्गत सदस्यों एवं अध्यक्षीय पदों पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों के नाम आयोग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कराए जायेगें। अत: रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा परिणामों की घोषणा के **तीन दिवस के भीतर** निम्नानुसार परिणाम दस्तावेज राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करें:-

A - सदस्य पद के लिए भिजवाये जाने वाले परिणाम संबंधी दस्तावेजो का विवरण:-

1. संलग्न प्रारूप में अधिसूचना मय सॉफ्ट कॉपी। (मंगल फॉन्ट एवं MS Word में)
2. प्ररूप 21 (अंतिम परिणाम पत्रक) की एक मूल प्रति।
3. प्ररूप 22 (परिणाम की घोषणा) की एक मूल प्रति।
4. प्ररूप 23 (निर्वाचन का प्रमाण पत्र) की मूल प्राप्ति रसीद।

B - अध्यक्षीय पद के लिए भिजवाये जाने वाले परिणाम संबंधी दस्तावेजो का विवरण:-

1. प्ररूप 21-क (अंतिम परिणाम पत्रक) की एक मूल प्रति।

2. प्ररूप 22-क-1 (परिणाम की घोषणा) की एक मूल प्रति।
3. प्ररूप 23-क (निर्वाचन का प्रमाण पत्र) की मूल प्राप्ति रसीद।

परिणाम संबंधी दस्तावेज भिजवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि सभी दस्तावेजों पर रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर के नीचे मोहर अंकित हो।

आज्ञा से,

शुचि त्यागी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
एवं सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।